

यात्रियों को महत्वपूर्ण सुझाव

- आपके धूम्रपान करने से आपके सह-यात्रियों को असुविधा होगी और यह उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषिद्ध है। रेलों पर धूम्रपान से रेल अधिनियम के तहत अभियोजित किया जा सकता है।
- गाड़ियों के सवारी डिब्बों में तथा रेलवे प्लेटफ़ॉर्मों में पड़े किसी भी अपरिचित वस्तु को न छुएं, यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। यदि आपके ध्यान में ऐसी कोई वस्तु आती है, तो तुरंत रेल सुरक्षा बल/सामान्य रिज़र्व पुलिस या रेल प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाए।
- सह-यात्रियों या गैर-लाइसेंसधारी विक्रेताओं से कोई खाद्य या पेय पदार्थ स्वीकार न करें। हो सकता है कि अपराधियों द्वारा उनमें नशीले पदार्थ मिलाए गए हों, इससे आप बेहोश होते ही आपके सामानों को उठा लिया जाएगा और इसमें जान भी जा सकती है।
- अपने साथ ज्वलनशील पदार्थ न ले जाएं। यह आपकी यात्रा तथा आपकी जान दोनों के लिए जोखिमभरा हो सकता है। इसके अलावा रेल अधिनियम की धारा 164 के तहत आपको अभियोजित किया जा सकता है और तीन वर्ष तक की कैद की सज़ा भी हो सकती है।
- गाड़ियों की छत के ऊपर तथा पायदान में यात्रा न करें।
- आपके सामानों की चोरी हो जाने पर तत्काल रेल सुरक्षा बल/सामान्य रिज़र्व पुलिस के मार्गरक्षकों, चल टिकट परीक्षकों, कोच परिचरों, गार्ड, गाड़ी पर्यवेक्षक आदि को आवश्यक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट करें। उनके पास प्रथम दृष्ट्य रपट के फ़ॉर्म उपलब्ध होते हैं, उस फ़ॉर्म को भरकर उनसे पावती प्राप्त करते हुए उन्हें सौंप दें। वे आपकी प्रथम दृष्ट्या रिपोर्ट को संबंधित पुलिस के साथ पंजीकृत करेंगे, जोकि जांचपडताल की कार्रवाई करेंगे।
- आपातिक परिस्थिति में गाड़ी को रोकने के लिए चेतावनी जंज़ीर का प्रावधान किया गया है। ठोस वजह के बिना चेतावनी जंज़ीर का उपयोग न करें। ठोस वजह के बिना चेतावनी जंज़ीर को खींचनेवाले यात्री को रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत अभियोजित किया जा सकता है और एक वर्ष तक की कैद हो सकती है।

यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा के मामले में बेहतर सेवा के लिए आपके बहुमूल्य सुझावों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। आपके सुझाव एवं शिकायत यदि कोई हो तो csc@swr.railnet.gov.in के ज़रिए भेजे जाएं।